**प्रेस नोट संख्या- 12**

**दिनांक 13.11.2025**

**सराहनीय कार्य जनपद अमेठी**

**थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त 01 तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार ।**

**घटना का संक्षिप्त विवरणः-** दिनांक 04.11.2025 को वादी श्री विमलेश सिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पूरे मंशा गूजर टोला थाना गौरीगंज जनपद अमेठी द्वारा थाना गौरीगंज पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 03.11.2025 को उनके पुत्र अंकित सिंह बाजार से अपने घर की तरफ मोटरसाइकिल से जा रहे थे तभी पीछे से चार पहिया वाहन ने टक्कर मार कर उनके पुत्र को गिरा दिया था तथा वाहन से निकल कर 06 लोगों ने उनके पुत्र पर जान से मारने की नीयत से असलहे से फायर कर दिया था तथा लोहे की राड से कई वार करके भाग गये थे । प्राप्त तहरीर पर थाना गौरीगंज पर मु0अ0सं0 372/25 धारा 190, 191(2), 191(3), 109(1), 61(2)(a) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश/निर्देश दिये गये थे ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.11.2025 को क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित थार वाहन रजि0 नं0 UP 32 PP 6189 पर सवार 01 अभियुक्त इमरान पुत्र हाजी मकबूल निवासी ग्राम पूरे हसन मजरे हरिकरनपुर थाना जामो जनपद अमेठी उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । थार वाहन की तलाशी से 01 तमंचा 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । थार वाहन के कागज मांगने पर दिखा न सका । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ व जांच से ज्ञात हुआ कि मो0 इस्लाम के पुत्र जीशान की मृत्यु का बदला लेने के लिये इमरान द्वारा आपराधिक षड़यंत्र करके एक सुनियोजित योजना के तहत घटना कारित कराई गई थी । पूर्व में गिरफ्तार मुख्य साजिशकर्ता मो0 इस्लाम द्वारा दिये गये रुपये को इमरान द्वारा घटना में शामिल अपने अन्य साथियों तक पहुंचाया गया था । घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस इमरान द्वारा अपने साथी उदय सिंह को उपलब्ध कराया गया था । घटना के उपरान्त अभियुक्त उदय सिंह व उसके साथियों द्वारा भागते समय घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस इमरान को वापस कर दिया गया था जिसे थार वाहन से बरामद किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1. इमरान पुत्र हाजी मकबूल निवासी ग्राम पूरे हसन मजरे हरिकरनपुर थाना जामो जनपद अमेठी उम्र 35 वर्ष ।

**बरामदगी-**

- घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर।

**पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई-**

- मु0अ0सं0 372/25 धारा 190, 191(2), 191(3), 109(1), 61(2)(a) बीएनएस थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
- थार वाहन रजि0 नं0 UP 32 PP 6189 (धारा 207 एमवी एक्ट)

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. श्री श्याम नारायण पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
2. निरीक्षक जिलेदार यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 महेन्द्र सरोज थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
4. उ0नि0 दिवाकर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
5. का0 जसवन्त यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
6. का0 अली हसन थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

**अभियुक्त इमरान का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 62/11 धारा 394, 511 भादवि थाना जायस जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 63/11 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना जायस जनपद अमेठी।
3. मु0अ0सं0 289/16 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 भादवि थाना जायस जनपद अमेठी।
4. मु0अ0सं0 3/19 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना जायस जनपद अमेठी।
5. मु0अ0सं0 268/21 धारा 323. 504. 506 भादवि 3(1)द,ध व 3(5)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना जामो जनपद अमेठी।
6. मु0अ0सं0 92/24 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना जामो जनपद अमेठी।